



2026:AHC-LKO:20775

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दोषपूर्ण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सं. - 304/2025

कैलाश नाथ यादव

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

जय प्रकाश नारायण मिश्र एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : विष्णु प्रताप सिंह, आशीष कुमार वर्मा, शिवांशी मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

आईए/1/2025

1. यह वर्तमान अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए एक आवेदन है।



2. अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री शिवांशी मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. यह विलंबित अपील, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 15, लखनऊ द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 351/2008 जय प्रकाश नारायण मिश्रा बनाम कैलाश नाथ यादव और अन्य में दिनांक 15.09.2010 को पारित निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है।

4. कार्यालय ने वर्तमान अपील दाखिल करने में 4720 दिनों के विलंब होने की सूचना दी है।

5. विलंब क्षमादान के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में दर्शाए गए कारण निम्नलिखित हैं:

"2. यह कि अपीलकर्ता इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील दाखिल कर रहा है, लेकिन उक्त अपील दाखिल करने में 5433 दिनों का विलंब हुआ है।

3. यह कि विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या, लखनऊ ने दिनांक 15.09.2010 को आदेश पारित

किया था। अपीलकर्ता को इस आदेश की जानकारी दिनांक 02.05.2014 को तब हुई, जब इस माननीय उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध एफएफओ 1441/2010 (जय प्रकाश नारायण शुक्ला बनाम कैलाश नाथ यादव और अन्य) वाद में नोटिस जारी किया।

4. यह कि इस बीच, विरोधी पक्ष संख्या 3 ने दावा राशि का भुगतान कर दिया और अपीलकर्ता से उक्त दावा राशि की वसूली हेतु विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, लखनऊ के समक्ष एक वाद दाखिल किया।

5. यह कि अपीलकर्ता ने विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, लखनऊ के समक्ष अपनी आपति प्रस्तुत की, परंतु विपक्षी पक्ष संख्या 3 द्वारा दाखिल किया गया उक्त वाद दिनांक 05.01.2019 को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया।

6. यह कि अपीलकर्ता को उक्त वाद के खारिज होने की जानकारी तब हुई, जब दिनांक 30.08.2024 को जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा उसे वसूली नोटिस तामील कराया गया।

7. यह कि वसूली नोटिस की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, अपीलकर्ता ने तत्काल दिनांक 15.09.2010 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, परंतु उसे उक्त प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, क्योंकि मूल पत्रावली को एक अन्य अपील एफएफओ - 1441/2010 (जय प्रकाश नारायण शुक्ला बनाम कैलाश नाथ यादव और अन्य) के संदर्भ में इस माननीय न्यायालय द्वारा तलब कर लिया गया था।

8. यह कि जब अपीलकर्ता को उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुई, तो उसने तत्काल इस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2010 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया; और जैसे ही अपीलकर्ता को दिनांक 15.09.2010 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, उसने तत्काल इस माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील दाखिल कर दी।

9. यह कि अपीलकर्ता ने "जान-बूझकर या इरादतन देरी नहीं की। अपीलकर्ता की अपील गुण-दोष के आधार पर सही है; यदि उसकी अपील की सुनवाई और निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाता है, तो वह सफल होगा।"

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत अपील दाखिल करने में 4720 दिनों का विलंब हुआ है, और इस विलंब का कारण, विलंब क्षमादान के आवेदन



के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में भली-भांति स्पष्ट किया गया है; साथ ही, यह विलंब जान-बूझकर नहीं किया गया है। अतः, इस प्रकार हुए विलंब को क्षमा कर दिया जाए।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. आगे बढ़ने से पूर्व, यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय की विभिन्न टिप्पणियों पर विचार करना चाहेगा, और साथ ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को देखना भी उचित समझता है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"5. कुछ वादों में निर्धारित अवधि का विस्तार-

कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आवेदन के अलावा, तय समय के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने या आवेदन न करने का क्षमा कारण था।

स्पष्टीकरण - यह तथ्य कि अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित अवधि का निर्धारण या उसकी गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रक्रिया या निर्णय से गुमराह हुआ था, इस धारा के अर्थ में पर्याप्त कारण हो सकता है।"



9. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को ध्यान पूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट पता चलता है कि निर्धारित अवधि के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते अपीलकर्ता न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि उस निर्धारित अवधि के भीतर अपील न करने का उसके पास कोई पर्याप्त कारण था। 'पर्याप्त कारण' सिद्ध करने का भार अपीलकर्ता पर होता है, जो विलंब क्षमादान चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होता है कि न्यायालय में न आने के उसके कारण वास्तविक सदभावनापूर्ण और किसी भी तरह की लापरवाही से मुक्त थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रावधान को न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है, ताकि किसी भी निर्दोष वादी को उन परिस्थितियों के लिए दण्ड न मिले जो उसके अपने नियंत्रण से परे थीं। यद्यपि न्यायालय को घोर लापरवाही, जान-बूझकर की गई निष्क्रियता, या आकास्मिक उदासीनता को क्षमा नहीं करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने से जनहित में वादों का जल्द निपटारा होना चाहिए के सिद्धांत की अवहेलना होगी और परिसीमा विधि जिस निश्चितता को सुनिश्चित करना चाहता है, वह अस्थिर हो जाएगी।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले, वर्ष 1962 में, **रामलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड (एआईआर 1962 एससी 361 में प्रकाशित)** के वाद में इस बात पर जोर दिया था कि, भले ही किसी पक्ष ने समय सीमा के भीतर अपील दाखिल न करने का कोई "पर्याप्त कारण" बता दिया हो, फिर भी वह पक्ष विलंब क्षमादान का हकदार नहीं होता; क्योंकि विलंब को क्षमा करना न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। न्यायालय, विभिन्न कारणों से "पर्याप्त कारण" सिद्ध हो जाने के बावजूद भी, उस पक्ष



की 'सद्भावना' को देखते हुए विलंब को क्षमा करने से इनकार कर सकता है। इसका प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

"7. धारा 5 (परिसीमा अधिनियम की) की व्याख्या करते समय, दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना प्रासंगिक है। पहली बात यह है कि अपील करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि के समाप्त हो जाने से, डिफ्री-धारक के पक्ष में एक अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वह उस डिफ्री को पक्षों के बीच बाध्यकारी माने। दूसरे शब्दों में, जब निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त हो जाती है, तो डिफ्री-धारक को परिसीमा विधि के अंतर्गत यह लाभ प्राप्त हो जाता है कि वह उस डिफ्री को चुनौती से परे माने; और समय बीतने के कारण डिफ्री-धारक को प्राप्त हुए इस विधिक अधिकार को हल्के में लेकर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वह यह है कि यदि विलंब के लिए 'पर्याप्त कारण' दर्शाया जाता है, तो न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह विलंब को क्षमा कर दे और अपील को स्वीकार कर ले। यह विवेकाधिकार न्यायालय को जान-बूझकर इसलिए प्रदान किया गया है, ताकि इस संबंध में न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग 'सारभूत न्याय' को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके।

12. तथापि, यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने के बाद भी, कोई भी पक्ष प्रश्नगत विलंब की क्षमा को 'अधिकार के तौर पर' प्राप्त



करने का हकदार नहीं होता। पर्याप्त कारण का प्रमाण, धारा 5 के अंतर्गत न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक 'पूर्व-शर्त' है। यदि पर्याप्त कारण सिद्ध नहीं होता है, तो आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती; विलंब क्षमा करने के लिए दिए गए आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।" (ज़ोर दिया गया)

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह के वाद में (1973) 2 एससीसी 705 में प्रकाशित वाद** में, यह टिप्पणी की है कि परिसीमा विधि का उद्देश्य उस चीज़ में होने वाले व्यवधान और उससे वंचित किए जाने को रोकना है, जिसे लंबे समय तक उपभोग के आधार पर साम्य और न्याय के अनुसार अर्जित किया गया हो, अथवा जो किसी पक्षकार की अपनी निष्क्रियता, उपेक्षा या विलंब के कारण खो गया हो।

12. वादों के लिए समय सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य सार्वजनिक नीति पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सामान्य जन-कल्याण के लिए विधिक उपचार की एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्षकार वाद को टालने की चालें न चलें, बल्कि अपने विधिक उपचारों का लाभ तुरंत उठाएं। किसी उपचार का दावा करने के लिए, व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही न्यायालय का रुख करना चाहिए।



13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम (2012) 5 एससीसी 157 में प्रकाशित वाद में** अनुच्छेद 24 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"24. किसी वाद के तथ्यों के आधार पर 'पर्याप्त कारण' का क्या अर्थ होगा, यह काफी हद तक स्पष्टीकरण की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि आवेदक की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और विलंब के लिए बताया गया कारण सत्य है, तो वह विलंब को क्षमा कर सकता है। इसके विपरीत, यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है, या वह अपने वाद को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाह रहा है, तो विलंब को क्षमा न करना न्यायालय के विवेकाधिकार का उचित प्रयोग माना जाएगा।" (ज़ोर दिया गया)

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (2012) 3 एससीसी 563 : एआईआर 2012 एससी 1506 में** प्रकाशित वाद में यह निर्णय दिया है कि जब तक विलंब का कोई उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण तथा पर्याप्त कारण न बताया जाए, तब तक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम टी.टी. मुरली बाबू (2014) 4 एससीसी 108 के** वाद में यह निर्णय दिया था कि विलंब



और शिथिलता के सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है, परंतु साथ ही उसे इस प्राथमिक सिद्धांत के प्रति भी सचेत रहना चाहिए कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति, बिना किसी पर्याप्त कारण के, अपनी सुविधानुसार या स्वेच्छा से न्यायालय का रुख करता है, तो न्यायालय का यह विधिक दायित्व बन जाता है कि वह इस बात की गहन जाँच करे कि क्या इतने विलंबित चरण पर उस विवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं। देरी, वादी की ओर से निष्क्रियता और अकर्मण्यता को दर्शाती है एक ऐसा वादी जो उन मूल मानदंडों को विस्मृत कर चुका है, जो ये हैं: पहला, "टालमटोल समय का सबसे बड़ा चोर है"; और दूसरा, विधि किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति नहीं देता कि वह सोता रहे और फिर किसी 'फीनिक्स' पक्षी की तरह अचानक जाग उठे। विलंब निश्चित रूप से जोखिम उत्पन्न करती है और विवादित वाद को क्षति पहुँचाती है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम परफेक्ट सेल्स, ग्वालियर, एआईआर 2015 एमपी 161 में प्रकाशित** वाद में स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि अपीलकर्ता ने 296 दिनों तक इस वाद पर कोई कार्रवाई नहीं की और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही पूर्ण रवैया दर्शाता है, और चूंकि विलंब का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है इसलिए इस विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता।

17. इस न्यायालय को विलंब की क्षमा हेतु 'पर्याप्त स्पष्टीकरण' देखना होता है, न कि विलंब को क्षमा करने के लिए केवल 'बहाने'; जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शेओ राज सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य; (2023) 10 एससीसी 531 में प्रकाशित** वाद में निर्णय दिया है। इस संदर्भ में प्रासंगिक अनुच्छेद 31 और 32 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"31. कभी-कभी, पर्याप्त कारण न बताए जाने या कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण, अल्प से अल्प विलंब को भी क्षमा नहीं किया जा सकता; जबकि, कुछ अन्य वादों में, यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक और स्वीकार्य हो, तो लंबे समय के विलंब को भी क्षमा किया जा सकता है। निःसंदेह, न्यायालयों को "स्पष्टीकरण" और "बहाना" के मध्य अंतर करना चाहिए। एक "स्पष्टीकरण" का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सभी तथ्य बताना और किसी घटना का कारण स्पष्ट करना होता है। यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सहायता करता है और व्यक्ति को यह बताने का अवसर देता है कि जो कुछ हुआ है, वह उसकी गलती नहीं है बशर्ते कि वह वास्तव में उसकी गलती न हो। यद्यपि, "स्पष्टीकरण" और "बहाना" के मध्य अंतर करने में सावधानी बरती जानी चाहिए। यद्यपि व्यक्ति प्रायः "स्पष्टीकरण" और "बहाने" को एक ही चीज़ मानते हैं और दोनों के बीच का अंतर समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, फिर भी दोनों के बीच एक सूक्ष्म, किंतु वास्तविक अंतर उपस्थित है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



32. प्रायः, जब कोई व्यक्ति किसी आरोप या हमले की स्थिति में होता है, तो वह अपनी ज़िम्मेदारी और उसके परिणामों से बचने के लिए "बहाने" का सहारा लेता है। यह एक प्रकार की रक्षात्मक कार्रवाई होती है। किसी बात को केवल एक "बहाना" कहना इस बात का संकेत है कि दिया गया स्पष्टीकरण सत्य नहीं माना जा रहा है। संक्षेप में कहें तो, ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है जो सभी परिस्थितियों पर लागू हो सके; इसलिए, पर्याप्त कारण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विलंब को क्षमा करने के प्रत्येक वाद का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस स्तर पर, हम इस बात पर खेद व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते कि प्रायः लंबे विलंब को क्षमा करने के लिए स्पष्टीकरणों के सिवाय केवल बहानों को ही स्वीकार कर लिया जाता है और ऐसा उन गुप्त शक्तियों से जनहित की रक्षा करने के नाम पर किया जाता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी वास्तविक और योग्य दावा निर्णय के लिए उच्च न्यायालयों तक न पहुँच पाए।" (ज़ोर दिया गया)

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ और अन्य बनाम जहांगीर बायरामजी जीजीभाँय (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 489** में प्रकाशित जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"27. हमारा यह मत है कि परिसीमा का प्रश्न मात्र एक तकनीकी विचार नहीं है।

परिसीमा के नियम सुदृढ़ लोक नीति और साम्य के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमें



प्रतिवादी के सिर पर अनिश्चित काल तक तलवार लटकाए नहीं रखना चाहिए, जिसका निर्धारण अपीलकर्ताओं की मनमर्जी और सनक पर निर्भर हो।" (ज़ोर दिया गया)

19. ऊपर बताए गए सिद्धांत की कसौटी पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विलंब को क्षमा करने का विवेक प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वाद की व्याख्या को दूसरे वाद की व्याख्या नहीं मानी जा सकती। सिर्फ इसलिए कि न्यायालय ने कुछ मामलों में विलंब क्षमा कर दी है, उसी को दूसरे मामलों में भी विलंब क्षमा करने का मापदण्ड नहीं बनाया जा सकता।

20. अगर किसी पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी का आरोप हो, तो 'पर्याप्त कारण' शब्द की उदारता से व्याख्या नहीं की जा सकती। 'पर्याप्त कारण' सिद्ध करने का भार उस आवेदक पर होता है, जो विलंब क्षमादान चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होता है कि न्यायालय में न आने का कारण वास्तविक, सद्भावनापूर्ण और लापरवाही से मुक्त था। माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के कई निर्णय में यह कहा गया है कि विलंब को सिर्फ उदारता के आधार पर क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक न्याय देने का अर्थ यह नहीं है कि विरोधी पक्ष को कोई हानि पहुँचाई जाए। अपीलकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि वे इस मामले को आगे बढ़ाने में यथोचित रूप से तत्पर थे, और विलंब क्षमा करने की यह महत्वपूर्ण कसौटी इस वाद में पूरी नहीं होती।



21. इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा यह अपील दाखिल करने में हुआ 4720 दिनों का विलंब, परिसीमा के कारण से पूरी तरह से वर्जित है; क्योंकि न तो विलंब क्षमादान हेतु आवेदन में कोई 'पर्याप्त कारण' बताया गया है, और न ही इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण संतोषजनक लगा है। इसलिए, विलंब क्षमा करने के मान्य मापदण्ड पूर्ण नहीं होते हैं, अतः इस विलंबित अवस्था में विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता।

22. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विलंब को उचित ठहराने के लिए किया गया प्रयास निष्फल है। शपथपत्र में वर्णित विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, और तदनुसार, विलंब क्षमादान के लिए प्रस्तुत यह आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

23. परिणामस्वरूप, विलंब और शिथिलता के आधार पर यह अपील भी **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

23 मार्च 2026

अनुपम एस/